झारखण्ड सरकार

कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466

पत्रांक :19M(05)C(19-20) 25 दिनांक : 21/01/2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

विषय :– **झारखण्ड कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2019–20 अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली "वन भूमि का निवल वर्त्तमान् मूल्य" योजना के शहरी हरियालीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 0.900 लाख (नब्बे हजार रूपये) मात्र का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub- Allotment)।**

प्रसंगः– 1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49 दिनांक 24.10.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 99/आ0 दिनांक 25.10.2019।

2. इस कार्यालय का पत्रांक 453 दिनांक 16.08.2019, पत्रांक 535 दिनांक 21.10.2019 एवं पत्रांक 547 दिनांक 30.10.2019

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 04–वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष –103– राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, **उप–शीर्ष– 05–"वन भूमि का निवल वर्त्तमान् मूल्य"** योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से शहरी हरियालीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 0.900 लाख (नब्बे हजार रूपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240604103050323	0.900
कुल :–		**0.900**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची होंगे, जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने अधीनस्थ कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी एवं इस कार्यालय को समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक– 2** पर द्रष्टव्य् है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 547 दिनांक 30.10.2019 द्वारा संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कतिपय इकाईवार राशि का उप–आवंटन वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची को पूर्व में किया जा चुका है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची को संलग्न **अनुलग्नक**–1 पर वर्णित कार्यों के पक्ष में अवशेष इकाईवार राशि का आवंटन किया जा रहा है।

4. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

21.01.2020

6. योजना का कार्यान्वयन सक्षम स्तर प्रदत्त स्थल विशेष तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरुप किया जाएगा। क्षेत्रीय मुख्य| वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रदेशिक अंचल, राँची द्वारा अपने अधीनस्थ राँची वन प्रमण्डल के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना इस कार्यालय को देंगे। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी यह लगातार समीक्षा कर सुनिश्चित करेंगे कि राशि की निकासी एवं व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

8. राशि की निकासी राँची जिला अवस्थित डोरण्डा कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रत्येक माह की पाँचवीं तारीख तक वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो तथा निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही हो। साथ ही, सामग्री की राशि का भुगतान विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542 दिनांक 19.12.2013 में निरुपित प्रावधानो के अनुरुप किया जायेगा।

15. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली–2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या **GeM** या निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

17. किसी भी तरह का भुगतान सिर्फ बैंक खाता में ट्रान्सफर के माध्यम से ही किया जाएगा। नगद रुप से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

21.01.2020

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि किसी ऐसी योजना जिसके विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, अगर किसी दूसरे श्रोत से भी राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, वैसी स्थिति में इसकी राशि की निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना नियंत्री पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रमण्डलीय मासिक लेखा एवं वर्गीकृत मासिक सार (60P) वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

21. कैम्पा के तहत् संचालित योजनाओं की वाँछित सूचनाओं (यथालागू तकनीकी स्वीकृति से संबंधित सूचनाएं और Geo-cordinated Point & Polygon, जो भी लागू हो, सहित) को e-green watch portal पर अपलोड किया जायेगा।

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 में निहित निम्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 330 दिनांक 29.08.2018 एवं पत्रांक 503 दिनांक 24.09.2019 द्वारा भेजी गयी है–

(a) NPV & Penal NPV में संदर्भित कार्य, यदि वनभूमि पर किये जाते हैं तो वे कार्य नियोजना (Working Plan) के अनुसार किये जायेंगे।

(b) परंतु यह कि वे कार्य, जो कार्य नियोजना के अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति के परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और इसके तहत् जारी दिशा–निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

(c) परंतु यह कि वे कार्य, जो अनुमोदित कार्य नियेजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, यथालागू ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से सम्पादित कराये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

21.01.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 19M(05)C(19-20) 25 दिनांक– 21/01/2020.

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

21.01.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

21/01.

ज्ञापांक– 19M(05)C(19-20) 25 दिनांक– 21/01/2020.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

21.01.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची

21/01.

अनुलग्नक – 1

झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2019–20 उपशीर्ष "05–वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य"

(मजदूरी दर : रू0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

		शहरी हरियालीकरण		
क्रम सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	भौतिक लक्ष्य (कार्य विवरण)	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	बरियातू एवं अन्य पहाड़ियों के हरियालीकरण (अग्रिम कार्य)	0.900	0.900
	योग		**0.900**	**0.900**

21.01.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।

21/01.

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 19M(05)C(19-20)/25 दिनांक - 21-Jan-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240604103050323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपन 05 - वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	81585	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	90,000.00 रुपये नब्बे हजार

State Scheme : NET PRESENT VALUE OF FOREST LAND(1770)
Centeral Scheme : NA

योग: 90,000.00

क्रमिक योग: रुपये नब्बे हजार

21.01.2020
(SANJAY SRIVASTAVA)
ADDl.PCCF.CAMPA JHARKHAND

Additional Principal Chief Conservator
CAMPA, Jharkhand, Ranchi

 Run Date: 21/1/2020